न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 104/2020

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रावतमल पुत्र मलुराम जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
2. सोरभ पुत्र रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
3. निर्मला देवी पत्नी नोंरगलाल पुत्री रावतमल रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
4. गीता पत्नी शिवकुमार पुत्री रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
5. धापादेवी पत्नी बिहारीलाल पुत्री रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
6. राधा पत्नी सुशील कुमार पुत्री रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
7. सीता पत्नी राजकुमार पुत्री रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महेश बंसल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम नुवां के खाता सं0 101/81 के खसरा सं0 105 की 11.6350है0 खसरा सं0 209 की 6.4750है0 खसरा सं0 295 की 0.6070है0 कुल 18.717है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रावतमल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 1 रावतमल का नाम कलमजन किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं01 व 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी देवेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं0 2 [illegible] अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उ[illegible] पक्ष [illegible] अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2[illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 104/2020

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रावतमल पुत्र मलुराम जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
2. सोरभ पुत्र रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
3. निर्मला देवी पत्नी नोंरगलाल पुत्री रावतमल रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
4. गीता पत्नी शिवकुमार पुत्री रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
5. धापादेवी पत्नी बिहारीलाल पुत्री रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
6. राधा पत्नी सुशील कुमार पुत्री रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
7. सीता पत्नी राजकुमार पुत्री रावतमल जाति ब्राहाम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : वादी

वकील श्री महेश बंसल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 25.6.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम नुवां के खाता सं0 101/81 के खसरा सं0 105 की 11.6350है0 खसरा सं0 209 की 6.4750है0 खसरा सं0 295 की 0.6070है0 कुल 18.717है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रावतमल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मलुराम की खातेदारी हुआ करती थी। मलुराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रावतमल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का [illegible] हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल [illegible] सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 08 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 देवेन्द्र कुमार पुत्र रावतमल जाति ब्राहम्ण द्वारा सदस्यप्रमाण पत्र प्रदर्श 1 नामान्तरण नकल रजिस्ट्र प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही नुवां सवंत 2072–75 प्रदर्श 3 व जमाबंदी नुवां खाता सं0 174/155 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही नुवां के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि सदस्यप्रमाण पत्र प्रदर्श 1 नामान्तरण नकल रजिस्ट्र प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही नुवां सवंत 2072–75 प्रदर्श 3 व जमाबंदी नुवां खाता सं0 174/155 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 व 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण के अनुसार रावतमल पुत्र मलुराम के इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 जन्म से हक हिस्सा निहित है । वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि रोही मौजा नुवां के ही खाता सं0 174/155 खसरा सं0 199 की 5.9940 व खसरा सं0 200 की 14.9860है0 कुल 20.9800है खातेदारी में भी प्रतिवादी सं0 1 रावतमल के नाम दर्ज भूमि को यथावत रखा जाकर वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रावतमल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। चूकिं प्रतिवादी सं0 1 व 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:58 IST
Reason: SelfAttested

नायक कलक्टर (ट्रस्ट टैक) भादरा

अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम नुवां के खाता सं0 101/81 के खसरा सं0 105 की 11.6350है0 खसरा सं0 209 की 6.4750है0 खसरा सं0 295 की 0.6070है0 कुल 18.717है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रावतमल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 1 रावतमल का नाम कलमजन

Scanned with CamScanner

किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं01 व 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी देवेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं0 2 सोरभ को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.6.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner